न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :–
सुरजीदेवी पत्नी गंगाराम जाट
निवासी मुवाना तह.नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. मोहनराम पुत्र मुखाराम जाट
2. बिरमाराम पुत्र मुखाराम जाट
   निवासी मुवाना तह. नांवा
3. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम वकील वादी
श्री रामेश्वरलाल भींचर वकील प्रतिवादी 1, 2

मुकदमां नम्बर :– 28/2018

निर्णय दिनांक :– 6.2.18

निर्णय

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मुआना केखसरा नम्बर 142 रकाब 3.43 हैक्टयर स्थित हैं ग्राम मुअवाना के खसरा नम्बर 141 रकबा 3.29 हैक्टयर व खसरा नम्बर 142 रकबा 3.43 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि पूर्व मे मोहनराम , बिरमाराम पि. मुखाराम तथ्झा शिवकरण छोटूराम पि. कानाराम की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें 1/2 हिस्सा मोहनराम, बिरमाराम पि. मुखाराम का दर्ज रिर्काड था जिन्होने अपने 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचान के दिनांक 06.07.2010 को वादीनी के पक्ष में कर दिया था जिस पर खरीद के दिन के वादीनी काबिज काश्त हैं पारिपारिक परिस्थितियों के कारण उक्त बैचाननामा के आधार पर वादीनी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने से रह गई उसके बाद प्रतिवादी 1 , 2 व अन्य खातेदार शिवकरण , छोटूराम ने उक्त भूमियों का मौके पर विभाजन कर लिया जिसके अन्तर्गत खसरा नम्बर 142

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

रकबा 3.43 हैक्टरूर भूमि प्रतिवादी 1, 2 तथा खसरा नम्बर 141 रकबा 3.29 हैक्टयर भूमि शिकरण , छोटूराम के नाम बंटवारे में दर्ज होकर अलग अलग होल्डिंग कायम हो गई। खाता विभाजीत होने से जब तहसीलदार व पटवारी हल्का को उक्त बैचान के आधार पर खातेदारी दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर यह वाद उत्पन्न हुआ है। वादीनी ने वाद पेश कर ग्राम मुआना के खसरा नम्बर 142 रकबा 3.43 हैक्टयर में दक्षिणी तरफ .14 हैक्टयर भूमि का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने की इस्तदुआ की है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1, 2 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर उनके द्वारा 1/3 हिस्सा पूर्व में संयुक्त खातेदारी में बैचान करना स्वीकार किया हैं तत्पश्चात भूमि के बंटवारे के अनुसार प्राप्त खसरा नम्बर 142 में 1/3 हिस्से की भूमि यानि 1.14 हैक्टयर दक्षिणी तरफ वादीनी काबिज काश्त होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी 3 का सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चा पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की हैं जिसके अनुसार प्रतिवादी मोहनराम, बिरमाराम ने ग्राम मुवाना के खसरा नम्बर 141, 142 कुल रकबा 6.72 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज होना तथा अपने हिस्से में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीनी को बैचान किया गया हैं जो इस बैचान दस्तावेज से साबित होता हैं तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उक्त बैचान के आधार खातेदारी दर्ज नहीं होने के दौरान ही प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारो ने भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 142 रकबा 3.43 हैक्टयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम तथा 141 रकबा 3.29 हैक्टयर शिवकरण, छोटूराम अन्य खातेदारो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हैं जो जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 से साबित होता है। प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्सा वादीनी को बैचान किया जाना स्वीकार किया हैं तथा खसरा नम्बर 142 में दक्षिणी तरफ 1.14 हैक्टयर भूमि पर खरीद के दिन से वादीनी काबिज काश्त होना स्वीकार किया हैं खातेदारो में कोई एवं भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं हैं केवल मात्र भूमि का विधिवत रूप से विभाजन होने व बैचान दस्तावेज में दोनों खसरान अंकित होने मात्र से वादीनी की खातेदारी दर्ज नहीं हुई हैं जिससे वादीनी का वाद साबित होता है। स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम मुवाना के खसरा नम्बर 142 रकबा 3.43 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण 1, 2 की खातेदारी में से कम कर 1.14 हैक्टयर दक्षिणी तरफ की भूमि का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष भूमि प्रतिवादी 1, 2 की खातेदारी में यथावत रहेगी। तदनुसार वादीनी की खातेदारी में दर्ज कर वादीनी की अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 6.2.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा